

पंजीकरण पुस्तिका-2016



समाजवादी आवास योजना

पूरा करें अपने घर का सपना

प्रदेश सरकार देणी सामान्य नागरिकों को सरते घर का उपहार

पंजीकरण
1 फरवरी 2016
से
15 मार्च 2016
तक

भागीरथी एवलेव

जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11, मेरठ



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्
U.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ-226001
Website : <http://www.upavp.com>, E-mail: upavp@sancharnet.in

पंजीकरण पुस्तिका-2016

नागरिक भवन कार्यालय
पंजीकरण पुस्तिका-2016

SGMS

भागीरथी

एन्कलेव

जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या - ॥, मेरठ

के विशेष आकर्षण

- जागृति विहार (विस्तार) योजना, मेरठ में
- भागीरथी एन्कलेव में
- स्व वित्त पोषित
- फ्लैट्स का पंजीकरण
- ऑन लाइन पंजीकरण के लिये www.upavp.com पर लॉग ऑन करें।

- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा मेरठ नगर में वर्ष 1973 से योजनायें विकसित की जानी आरम्भ की गयी।
- मेरठ नगर में अब तक कुल 8 योजनायें विकसित की गयी जिनमें मंगल पाण्डे नगर, शास्त्री नगर एवं जागृति विहार, मेरठ की पॉश कालोनियों में हैं।
- कुल 1400 एकड़ क्षेत्र का विकास किया गया एवं 27000 सम्पत्तियाँ सृजित कर आवंटित की गयी।
- मेरठ शहर का प्रथम मल्टीप्लैक्स पी0वी0एस0 मॉल शास्त्री नगर योजना में।
- परिषद योजनाओं में प्राथमिक विद्यालय से डिग्री कॉलेज तक की सुविधा।
- परिषद योजनाओं में भारत संचार निगम लि0, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, वाणिज्य कर व भविष्य निधि कार्यालय के साथ ही अन्य विभागों के कार्यालय।
- परिषद योजनाओं में सभी प्रतिष्ठित दूरसंचार (सेलुलर) कम्पनियों के कार्यालय।
- प्रस्तावित योजना जागृति विहार (विस्तार), वर्तमान जागृति विहार योजना व शास्त्री नगर योजना से सटी हुई।
- योजना में मुख्य सड़क, नाली, सीवर, जलापूर्ति, पानी की टंकियाँ आदि का कार्य पूर्ण तथा पूर्व पंजीकरण के विरुद्ध 624 नग प्लैटों का निर्माण कार्य प्रगति में।
- लाला लाजपत राम मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय (मेडिकल कॉलेज) व अन्य प्रतिष्ठित अस्पतालों के समीप स्थित।
- चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय व सम्बद्ध व्यवसायिक संस्थानों के समीप स्थित।
- प्रस्तावित योजना से होकर मेरठ नगर की इनर रिंग रोड प्रस्तावित।
- रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम का स्टेशन योजना के समीप प्रस्तावित।

एक परिचय

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया था।

उद्देश्य

- (अ) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- (ब) केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यवसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।
- (स) भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित करके उनको आवंटित करना।
- (द) समाज के दुर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता सेनानी वर्ग के व्यक्तियों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।
- (घ) केन्द्र / राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शार्पिंग काम्पलेक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना।
- (न) भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नालॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।
- (प) प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी आवास समितियों को प्रोत्साहित करना।
- (फ) आवंटियों को सम्पत्ति के लिए वित्तीय संस्थाओं से वांछित ऋण उपलब्ध कराना।

परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे—विद्युत—आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों, पार्कों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था करती है जिससे योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित हो सके।

परिषद जन-साधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त सहकारी समितियों एवं सार्वजनिक संस्थाओं को भी आवासीय भवन एवं विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराती है। परिषद की योजनाओं में सम्पत्ति के प्रदेशन के लिये पंजीकृत व्यक्तियों के मध्य सम्पत्तियों का आवंटन लॉटरी द्वारा किया जायेगा।

Legend

- Entry/Exit
- Landscaped Green
- Surface Parking
- Commercial Sopping Complex
- Area of Future Planning



Jagriti Vihar Yojna, Meerut



Layout Plan of Sector - 3 & 4 Enclave

F-32 Type Flat

1 BHK, 1 BATH, 1 W.C., 1 BAL

Built Up Area of Each Unit = 28.03 sq. m. (301.60 sq. ft.)

Balcony Area of each unit = 2.09 sq. m. (22.49 sq. ft.)

Circulation Area of each unit = 2.83 sq. m. (30.45 sq. ft.)

Super Area of each unit = 32.95 sq. m. (354.54 sq. ft.)



CLUSTER PLAN

Cluster Plan

F-32 Unit Flat

2 Rooms, 1 Bath, 1 W.C., 1 Bal., 1 Kitchen
Built Up Area = 28.03 sq. m. (301.60 sq. ft.)
Balcony Area = 2.09 sq. m. (22.49 sq. ft.)
Circulation Area = 2.83 sq. m. (30.45 sq. ft.)
Super Area = 32.95 sq. m. (354.54 sq. ft.)



Unit Flat

F-57 Cluster Plan

2 BHK, 2 Tol, 1 Bal

Built Up Area of Each Unit = 51.21 Sq. m. (551.22 sq. ft.)

Balcony Area of each unit = 2.95 Sq. m. (31.75 sq. ft.)

Circulation Area of each unit = 3.68 Sq. m. (39.61 Sq. ft.)

Super Area of each unit = 57.84 Sq. m. (622.589 Sq. ft.)



Cluster Plan

F-57 Unit Plan

2 BHK, 2 Tol, 1 Bal

Built Up Area of Each Unit = 51.21 Sq. m. (551.22 sq. ft.)


Balcony Area of each unit = 2.95 Sq. m. (31.75 sq. ft.)

Circulation Area of each unit = 3.68 Sq. m. (39.61 Sq. ft.)

Super Area of each unit = 57.84 Sq. m. (622.589 Sq. ft.)



UNIT PLAN



KEY PLAN

Unit Plan

F-64 Cluster Plan

2 BHK, 2 TOI, 2 BAL

Built Up Area of Each unit = 57.97 sq. m. (623.76 sq. ft.)

Balcony Area of Each unit = 3.92 sq. m. (42.18 sq. ft.)

Circulation Area of each unit = 2.35 sq.m. (25.28 sq.ft.)

Super Area of Each unit = 64.24 sq. m. (691.22 sq.ft.)



Cluster Plan

F-64 Unit Plan


2 BHK, 2 TOI, 2 BAL

Built Up Area of Each unit = 57.97 sq. m. (623.76 sq. ft.)

Balcony Area of Each unit = 3.92 sq. m. (42.18 sq. ft.)

Circulation Area of each unit = 2.35 sq.m. (25.28 sq.ft.)

Super Area of Each unit = 64.24 sq. m. (691.22 sq.ft.)



Unit Flat

परियोजना का विवरण

उम्प्रो आवास एवं विकास परिषद द्वारा जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11, मेरठ में अफॉडेबुल हाउसिंग पॉलिसी के अन्तर्गत “समाजवादी आवास योजना-2015” के अधीन “भागीरथी एन्कलेव” के नाम से (G+3) चार मंजिली आवासीय परियोजना में 1BHK एवं 2 BHK के कुल 1584 पलैट्स का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित फ्लैट्स का विवरण निम्नवत् है -

फ्लैट्स का विवरण

क्र. सं.	फ्लैट का प्रकार	आच्छादित सेत्रफल (वर्गमीटर)	सुपर एरिया (वर्गमीटर)	प्राविधान
अरावली टॉवर				
1.	F-32 01 BHK	30.12	32.95	लिविंग रूम, 1 बेडरूम, किचन, 1 बालकनी, 1 WC, 1 बॉथ
नीलगिरी टॉवर				
2.	F-57 02 BHK	54.16	57.84	लिविंग रूम, 2 बेडरूम, ओपन किचन, बालकनी, 2 टायलेट
शिवालिक टॉवर				
3.	F-64 02 BHK	61.89	64.24	लिविंग रूम, 2 बेडरूम, किचन, 2 बालकनी, 2 टायलेट्स

उपलब्ध पलैटो का विवरण -

a. जागृति विहार योजना संख्या-11, (विस्तार) में पंजीकरण के सम्बन्ध में सम्पत्ति का विवरण-

क्र० सं०	फ्लैट का प्रकार	सम्पत्ति कोड	फ्लैटों की संख्या	अनुमानित लागत	पंजीकरण प्रतिशत (2 प्रतिशत)	घयन के पश्चात मांग पत्र निर्गत करने के 30 दिन के अन्दर देय घनता (रु० हजार में) (5 प्रतिशत)	घयन के उपरान्त आगामी माह से 36 मासिक किशत (रु० हजार में) 28 प्रतिशत	फ्लैटों के प्रदेशान पत्र जारी करने/धौतिक काले के समय देय घनता (रु० हजार में) (15 प्रतिशत)	36 मासिक किशतों के उपरान्त अवधीय 84 मासिक किशतों (रु० हजार में) (50 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	F-32 1 BHK	F-1	329	852000 से 951000	17040	42600	7754	127800	7183
2	F-57 2 BHK	F-2	279	1702000 से 1888000	34040	85100	15717	255300	14800
3	F-64 2 BHK	F-3	128	1960000 से 2165000	39200	98000	18100	294000	17043

b. स्व. वित्त पोषित योजना के अन्तर्भूत भवनों का पंजीकरण

क्र० सं०	फ्लैट का प्रकार	सम्पत्ति कोड	फ्लैटों की लालवार अनुमानित लागत (रु० लाख में)	सुपर एरिया (वर्ग मी०)	निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	भवनों की संख्या	पंजीकरण हेतु प्रस्तावित अनुमानित लागत (रु० लाख में)	पंजीकरण घनता (लाख में) 5 प्रतिशत	घयन के पश्चात मांग पत्र निर्गत करने के 30 दिन के अन्दर देय घनता (रु० में) 10 प्रतिशत	दिवाही किशतों की संख्या	अवधीय भुगतान 11 विषाही किशतों में (प्रत्येक किशत की घनता ८० में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	F-32	F-1	8.52 से 9.51	32.96	30.12	329	8.52	.47	85,200.00	11	65,337.00
2	F-57	F-2	17.02 से 18.81	57.84	54.16	279	17.02	0.85	1,70,200.00	11	1,31,528.00
3	F-64	F-3	19.60 से 21.65	64.24	61.89	128	19.06	0.98	1,96,000.00	11	1,51,455.00

c. पात्रता द्वा छोड़ने के उपरान्त अनन्तिम मांग पत्र निर्गत होने के एक माह (30 दिन) के अन्दर सम्पूर्ण भुगतान करने पर 2% की छूट परिषद नियमानुसार देय होगी।

नोट :- भवन का प्रस्तावित विक्रय मूल्य उपरोक्तानुसार दर्शाये गये तृतीय तल / मानक सुपर क्षेत्रफल के अनुसार लिया गया है। अन्य तलों पर भूमि के मूल्य के अनुपातिक विभाजन के कारण अतिरिक्त मूल्य देय होगा। भवन के कुल मूल्य पर नियमानुसार सेवाकर अलग से देय होगा।

पलैट्स की विशिष्टियाँ

1. पलैट F-32

आरोसीोसीो स्ट्रक्चर : भूकम्परोधी स्ट्रक्चर, फर्श : सीोसीो पलोर, टॉयलेट एवं बॉथ : फर्श पर ऐन्टी स्किड एवं दीवारों पर सेरेमिक टाइल्स, चौखट : एंगिल ऑयरन, दरवाजे : पलश डोर शटर्स, खिडकियाँ : ग्रिल, किचन: कुकिंग प्लेटफार्म पर बड़ीदा ग्रीन स्टोन स्लैब, दो फुट ऊँचाई तक सेरेमिक टाइल्स की फिनिशिंग, रंग-रोगन : कलर वॉश, दरवाजे पर एनेमल पेन्ट व बाहरी सतह पर वॉटर प्रूफ सीमेन्ट पेन्ट, विद्युत : अग्निरोधक कॉपर वायरिंग, जलापूर्ति : सभी पलैट हुत छत पर पीोवीोसीो टैंक का प्राविधान किया जायेगा।

2. पलैट F-57

आरोसीोसीो स्ट्रक्चर : भूकम्परोधी स्ट्रक्चर, फर्श : विट्रीफाईड पलोर टाइल्स, टॉयलेट एवं बॉथ : फर्श पर ऐन्टी स्किड एवं दीवारों पर सेरेमिक टाइल्स, चौखट : एंगिल ऑयरन, दरवाजे : पलश डोर शटर्स, खिडकियाँ : ग्रिल, किचन : कुकिंग प्लेटफार्म पर बड़ीदा ग्रीन स्टोन स्लैब, दो फुट ऊँचाई तक सेरेमिक टाइल्स की फिनिशिंग, रंग-रोगन : डिस्टेम्परिंग, दरवाजे पर एनेमल पेन्ट व बाहरी सतह पर वेदर कोट पेन्ट, विद्युत : अग्निरोधक कॉपर वायरिंग, जलापूर्ति : सभी पलैट हुत छत पर पीोवीोसीो टैंक का प्राविधान किया जायेगा।

3. पलैट F-64

आरोसीोसीो स्ट्रक्चर : भूकम्परोधी स्ट्रक्चर, फर्श : विट्रीफाईड पलोर टाइल्स, टॉयलेट एवं बॉथ : फर्श पर ऐन्टी स्किड एवं दीवारों पर सेरेमिक टाइल्स, चौखट : एंगिल ऑयरन, दरवाजे : पलश डोर शटर्स, खिडकियाँ : ग्रिल, किचन : कुकिंग प्लेटफार्म पर बड़ीदा ग्रीन स्टोन स्लैब, दो फुट ऊँचाई तक सेरेमिक टाइल्स की फिनिशिंग, रंग-रोगन : डिस्टेम्परिंग, दरवाजे पर एनेमल पेन्ट व बाहरी सतह पर वेदर कोट पेन्ट, विद्युत : अग्निरोधक कॉपर वायरिंग, जलापूर्ति : सभी पलैट हुत छत पर पीोवीोसीो टैंक का प्राविधान किया जायेगा।

प्राविधान/शर्तें:

- उक्त उल्लिखित मूल्य अनुमानित है। उक्त निर्माण 36 माह में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन करके ही अंतिम मूल्य देय होगा। अतः नियत किश्तों की धनराशि घट-बढ़ सकती है। सम्पत्ति के वर्तमान में निर्धारित अनुमानित मूल्य में विभिन्न कारणों यथा – भवन निर्माण सामग्री की बाजार दरों में वृद्धि या श्रमिक मजदूरी में वृद्धि होने आदि पर पूर्व निर्धारित मूल्य में बढ़ोत्तरी सम्भव है।
- भवनों की टाइप डिजाइन व ले आउट में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
- पलैट्स का भौतिक कब्जा आवंटी को प्रदान करने की तिथि से दो वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु आवंटी को "कॉर्पस फण्ड" में पलैट के विक्रय मूल्य का 5 प्रतिशत भौतिक कब्जा से पूर्व देय होगी। इन्कलेव में सर्वप्रथम व्यक्ति को दिये गये कब्जा की तिथि से दो वर्ष के बाद अनुरक्षण कार्य आवंटियों की उपरोक्त कॉर्पस फण्ड की अवशेष बची धनराशि सहित आवंटियों की वेलफेयर सोसाइटी को हस्तगत कर दिया जायेगा। तत्पश्चात् समिति को अनुरक्षण अपने स्रोतों से करना होगा। प्रत्येक आवंटी को वेलफेयर सोसाइटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।
- परिसर का रखरखाव प्रथम कब्जे की तिथि से 02 वर्ष तक किया जाना प्रस्तावित है उसके उपरांत 'रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी' द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक आवंटी को वेलफेयर सोसायटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।

- सामान्य सेवाओं जैसे लिपट आपरेशन, जनरेटर, कैम्पस लाइट, सेक्योरिटी गार्ड, ट्यूबवेल आपरेशन, कम्युनिटी सेन्टर की देखरेख, सफाई, विद्युत बिल आदि के रखरखाव हेतु प्रत्येक फ्लैट आवंटी को कब्जा प्राप्त तिथि से दो वर्ष तक रु. 10.00 प्रति वर्ग मीटर (सुपर एरिया) की दर से रखरखाव शुल्क अतिरिक्त देना होगा। जिसे बाद में परिषद / सोसाइटी को कम या अधिक करने का अधिकार होगा।
- परिसर हेतु बाउन्ड्रीवाल का प्राविधान किया गया है। इस परिसर में एक मल्टीपरपज हाल / कम्युनिटी सेन्टर बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है जिसकी लागत उक्त मूल्य में सम्मिलित है।
- राज्य / भारत सरकार द्वारा समय—समय पर प्राविधानित विभिन्न प्रकार के टैक्स यथा—वैट, सर्विस टैक्स, लेवर सेस आदि, रजिस्ट्री व्यय के साथ—साथ एवं भविष्य में उक्त टैक्सों की दरों में परिवर्तन होने की दशा में अन्तर धनराशि, आवंटी द्वारा वहन की जायेगी।

3. पंजीकरण हेतु पात्रता

- आवेदक भारत का नागरिक हो।
- आवेदक की आयु, आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- स्व वित्त पोषित फ्लैट हेतु आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

4. पंजीकरण के नियम

- आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिये गये आवेदन पत्र भरने के लिये निर्देशों का अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन—पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पायें।
- पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक से पंजीकरण पुस्तिका क्रय करके आवेदन पत्र सही व पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक चिन्हित बैंक की किसी निर्धारित शाखा में अन्तिम तिथि से पूर्व वांछित संलग्नकों व पंजीकरण धनराशि सहित जमा करना होगा।
- पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति—पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है। विशेष परिस्थितियों में पंजीकरण का हस्तान्तरण पति—पत्नी के मध्य नियमानुसार किया जा सकेगा। पंजीकरण व्यक्ति के साथ किसी अन्य व्यक्ति के नाम जोड़ने अथवा पंजीकरण के अन्तरण की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा।
- यदि कोई आवेदक पंजीकरण पात्रता चयन हेतु लाट्री ड्रा की तिथि से पहले पंजीकरण जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसके द्वारा निर्धारित रिफण्ड वाउचर पर आवेदन परिसर के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय ऑफिस काम्पलेक्स, शास्त्री नगर, मेरठ में आवेदन करने पर नियमानुसार पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि वापस की जायेगी। ऐसे निरस्त पंजीकरण को बाद में पुनर्जीवित नहीं किया जा सकेगा।
- यदि कोई आवेदक पात्र चयनित हो जाता है तो मांग पत्र निर्गमन तिथि से तीन माह के अन्दर अपनी पंजीकरण धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज उसे वापस कर दी जायेगी। किन्तु तीन माह पश्चात् ऐसा आवेदन करने पर 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष पंजीकरण धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। पंजीकरण धनराशि प्राप्ति हेतु निर्धारित रिफण्ड वाउचर एवं प्राप्ति रसीद आवेदन पत्र के साथ परिषद के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय ऑफिस काम्पलेक्स, शास्त्री नगर, मेरठ में जमा करनी होगी। इस प्रकार निरस्त कराये गये





पंजीकरण को बाद में पुनर्जीवित करने के लिये किसी प्रकार का दावा मान्य / स्वीकार नहीं होगा।

- 4.6 फ्लैट्स निर्माण में विलम्ब के कारण यदि किसी आवंटी को अन्तिम निर्धारित किश्त जमा करने के 6 माह बाद तक भी परिषद फ्लैट्स आवंटित नहीं कर पाता है तो आवंटी की जमा धनराशि अन्तिम किश्त जमा करने के आगामी माह से, धनराशि वापसी की मांग के पूर्व माह तक, परिषद के नियमानुसार तत्समय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज अथवा परिषद द्वारा निर्धारित ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी।
- 4.7 यदि किन्हीं कारणों से परिषद द्वारा यह योजना संचालित न करने का निर्णय लिया जाता है तो पंजीकृत आवेदकों/आवंटियों की जमा धनराशि नियमानुसार वापस कर दी जायेगी। किन्तु इस स्थिति में धनराशि के एक वर्ष से अधिक अवधि तक परिषद खाते में जमा रहने की स्थिति में ही तत्समय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज दिया जायेगा।
- 4.8. इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आवेदक को परिषद फ्लैट्स देने के लिए बाध्य नहीं होगी और यदि किसी आवेदक को फ्लैट्स आवंटित नहीं हो पाते हैं तो आवेदक इसके लिए परिषद से किसी प्रकार का हर्जाना प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

5. भुगतान का तरीका

(3 वर्षों में त्रैमासिक किश्तों में भुगतान)

1. भुगतान की तिथि एवं किश्तों की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में विवरण, पात्रता चयन होने पर मांग पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा। मांग पत्र निर्गमन तिथि से प्रथम किश्त की धनराशि 30 दिन के अन्दर बैंक कार्य दिवस में निर्धारित बैंक शाखा में जमा करना है तथा शेष धनराशि 11 त्रैमासिक किश्तों में देय होगी। समस्त भुगतान बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से ही स्वीकार होगा।
2. फ्लैट के निर्माणाधीन अवस्था में लाट्री से आवेदक को फ्लैट का नम्बर आवंटित किया जायेगा।
3. मांग पत्र में दर्शाये गये विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि तक वांछित भुगतान नहीं किये जाने पर किश्त की देय धनराशि पर विलम्ब अवधि के लिए, जो अधिकतम 03 माह होगी, परिषद नियमानुसार 13.5 प्रतिशत की दर से पूर्ण माह का ब्याज देय होगा, जिसका भुगतान निर्धारित किश्तों की धनराशि के साथ करना होगा अन्यथा आवंटन एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।
4. आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि से 3 माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसका पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा और जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमों के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुए बिना ब्याज के की जायेगी।
5. नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग/निकाय द्वारा लगाये गये समस्त/कर/शुल्क, गृहकर, जलकर, आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।
6. पंजीकरण के उपरान्त मांग पत्र के अनुसार देय किश्तों की धनराशि का भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक में ही बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक द्वारा किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट बैंकर्स चैक "उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद" / "UPAVP" के नाम जो मेरठ में देय हो, के पक्ष में होना चाहिए। उक्त ड्राफ्ट मांग-पत्र में अधिकृत बैंक शाखा को पंजीकरण संख्या/चालान संख्या आवेदक का नाम, योजना का नाम, फ्लैट संख्या एवं श्रेणी आदि विवरण सहित निर्धारित बैंक चालान पर परिषद खाते में जमा करना होगा।

6. आवंटना नियम :

- 6.1 परिषद / शासनादेशों के अनुसार पंजीकरण पात्रता द्वा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।
- 6.2 प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध फ्लैट की संख्या से अधिक होने पर लाट्री के आधार पर पात्र आवेदकों का चयन किया जायेगा। उक्त चयन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद के नियमानुसार बैंक द्वारा वापस कर दी जायेगी।
- 6.3 योजना में आवंटन हेतु उपलब्ध फ्लैट की संख्या से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में समस्त आवेदकों के नाम की पर्चियों को श्रेणीवार एक साथ डालकर लाट्री द्वारा फ्लैट की उपलब्धता की सीमा तक पात्रता निर्धारित की जायेगी। आवेदकों की संख्या उपलब्ध फ्लैट्स की संख्या से कम होने की दशा में समस्त आवेदक चयनित पात्र माने जायेंगे।
- 6.4 समस्त चयनित आवेदक / पात्र समान होंगे। उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार आवेदकों का चयन हो जाने के उपरान्त लाट्री पद्धति से नीचे से ऊपर उर्ध्व रूप से ही फ्लैट की संख्या का आवंटन किया जायेगा। चयनित हो चुके आवेदकों की सहमति से गुप्तिंग में एक साथ रहने के आधार फ्लैट्स की उपलब्धता की स्थिति में प्रार्थना पत्र देने पर युप बनाये जाने की सुविधा यथा सम्भव दी जायेगी। चार आवेदकों की सीमा तक ही गुप्तिंग मान्य होगी।
- 6.5 गुप्तिंग की स्थिति में युप की एक पर्ची डाली जायेगी तथा उसके आने पर यथा सम्भव पूर्ण युप को एक ही तल पर साथ-साथ समायोजित किया जायेगा। लाट्री में गुप्तिंग न मिलने पर कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 6.6 सामान्यतः पंजीकरण एवं पात्रता चयन / आवंटित फ्लैट्स का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों / परिस्थितियों एवं आवंटी की प्रार्थना पर पंजीकरण एवं आवंटित फ्लैट का परिवर्तन नियमानुसार रिक्त के विरुद्ध परिषद द्वारा निर्धारित परिवर्तन शुल्क देने की शर्त के अधीन सक्षम स्तर द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन फ्लैट का विक्रय विलेख-निष्पादन एवं पंजीकरण से पूर्व ही अनुमन्य होगा।
- 6.7 पात्रता चयन के पूर्व समस्त आवेदकों की सूची परिषद वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी जिसमें निर्धारित तिथि के पूर्व यदि कोई त्रुटि / कमी परिलक्षित होती है तो उसका निराकरण परिषद सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, ऑफिस काम्पलेक्स, शास्त्री नगर, मेरठ से सम्पर्क करके किया जा सकेगा। अन्यथा की स्थिति में पात्रता चयन के समय एवं उसके पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होगा तथा आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

7. असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी

- 7.1 पात्रता चयन के पश्चात असफल आवेदकों को दो माह के अन्दर बैंक द्वारा सीधे आवेदक के खाते से वापस कर दी जायेगी।

8. फ्लैट्स का भौतिक कब्जा

- 8.1 फ्लैट्स का निर्माण मांग पत्र निर्गमन की तिथि से 36 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
- 8.2 आवंटी द्वारा नियमानुसार फ्लैट का मूल्य व अन्य समस्त देय सहित परिषद खाते में भुगतान फ्लैट के पंजीयन / सेल डीड कराने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी

व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबन्धन के बाद भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।

- 8.3 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सूचित अवधि में फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी को रु0-50.00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देना होगा। तत्पश्चात् निबन्धन से विलम्बतम तीन माह तक कब्जा न लेने पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को फ्लैट का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

9. तथ्यों का छिपाना

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण /आवंटन/निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि समस्त अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

10. अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्ते

- 10.1 योजना आवासीय है। अतः फ्लैट का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट में किसी प्रकार का निर्माण या परिवर्धन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं आवंटन विक्य-विलेख निष्पादन एवं उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन / परिषद के नियम, आदेश व निर्णय आवंटी पर प्रभावी होंगे।
- 10.2 सर्वोच्च मंजिल की छत पर किसी आवंटी विशेष का अधिकार नहीं होगा तथा यह उसी टावर के समस्त रेजीडेन्ट्स की सामुदायिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहेगा।
- 10.3 यदि आवंटी/आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पंजीकरण/आवंटित फ्लैट उसके उत्तराधिकारी द्वारा पंजीकरण /फ्लैट परिवर्तन करने हेतु परिषद के नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन्डेमिनिटी बॉण्ड आदि उपलब्ध कराने पर विवाद न होने की दशा में परिवर्तन अनुमन्य होगा।
- 10.4 आवंटन तक इस योजना की किसी शर्त में संशोधन का अन्तिम अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा तथा ऐसे संशोधन प्रभावी होंगे।
- 10.5 पुस्तिका में असमावेशित रह गयी शर्तों के विषय में सम्बन्धित शासनादेशो व परिषद के प्राविधान प्रभावी होंगे।
- 10.6 किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य किन्ही अपरिहार्य कारणों से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये आवंटित फ्लैट्स के मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो उसका भुगतान आवंटी को करना होगा।
- 10.7 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र मेरठ होगा।
- 10.8 फ्लैट्स का अन्तिम मूल्य परियोजना को पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन करके ही अन्तिम विक्रय मूल्य निर्धारित किया जायेगा। फ्लैट्स के सूचित अनुमानित मूल्य में बाजार दर में वृद्धि सम्भावित है। 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर आवेदक यदि चाहे तो अपनी पूरी धनराशि बिना किसी कटौती के बिना ब्याज के प्राप्त कर सकता है।

7. आरक्षण

क्र.सं.	श्रेणी	आवाग प्रतिशत	अतिरिक्त रियायते तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1.	अनुसूचित जाति	21	उम्प्र० सरकार द्वारा निर्धारित सूची के अन्तर्गत उल्लिखित जातियों ही पात्र होगी। पंजीकरण पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध करानी होगी।
2.	अनुसूचित जनजाति	2	—तदैव—
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	—तदैव—
4.	मा० विधायक/मा० सासंद/ स्वतन्त्रता संघाम सेनानी	5	(अ) पंजीकरण आवेदन-पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ब) समुचित प्रमाण-पत्र
5.	सरकारी सेवाओं तथा सुख्ता सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।	5	पंजीकरण आवेदन-पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
6.	उम्प्र० आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संरक्षण नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन-पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/सकाम अधिकारी का प्रमाण पत्र मुलूलप से उपलब्ध करायें।। शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत हो।
7.	वर्तमान सेनिक, भूतपूर्व सेनिक व उनके आयित	3	पंजीकरण आवेदन के साथ नियत सेनिक अधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराकर उपलब्ध करायें।
8.	समाज के विकलांग व्यक्ति	3	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया-प्रति संलग्न करना है।
9.	वर्टेट नागरिक (आवेदन-पत्र को जमा करने की निर्धारित अनियम तिथि तक 60 वर्ष अथवा यथा निर्धारित उससे अधिक की आयु पूर्ण होने के आधार पर)	10	हाईस्कूल प्रमाण पत्र/सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र/पेनशन पेपर का प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। इन प्रमाणपत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध करायें।
10	विदेशी मुद्रा से सम्पत्ति क्रय करने के इच्छुक भारतीय नागरिक	नकद के अनुसार	पंजीकरण जमा की धनतात्री तथा मांग पर शेष मूल्य विदेशी मुद्रा (यूएस, डालर, पौण्ड, स्टर्लिंग, जर्मन मार्क, जापानी येन, रिय, फ्रैंक, दीनार) से भारतीय मुद्रा में परिवर्तित कराकर देनी होगी। आवेदन केवल नकद क्रय आधार पर होगा। पंजीकरण आवेदन-पत्र के पंजीकरण जमा धनतात्री के विदेश मुद्रा में परिवर्तित होने का सम्बन्धित बैंक का प्रमाण-पत्र संलग्न करना है।

नोट :—उपरोक्त में से कमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगे लाट्री में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। कमांक 04 से 10 तक के आरक्षण शासनादेश/परिषदादेशों के प्राविधानानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा।

हारिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा।

- कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण का कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण होने की स्थिति में अथवा प्रमाण-पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन-पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।
- उ.प्र. के अतिरिक्त अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के व्यक्ति आरक्षण हेतु पात्र नहीं माने जाएंगे।

भूविस्थापितों के लिये प्राविधान :—

भूविस्थापितों को शासनादेशों/परिषदादेशों के अनुरूप वरीयता देय होगी। भू-विस्थापितों का तात्पर्य ऐसे आवेदकों से है जिसकी भूमि/भवन को परिषद द्वारा उस योजना हेतु अधिगृहीत किया गया हो। इस हेतु सकाम अधिकारी (भूमि अध्यापिति अधिकारी) का प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

आवेदन - पत्र भरने के लिये निर्देश

1. आवेदन पत्र हिन्दी या अंग्रेजी में भर सकते हैं। आवेदन पत्र काले अथवा नीले बॉल प्वाइन्ट पेन से भरा जायेगा।
2. आवेदन पत्र में नाम (क्रमांक 4 एवं 5 का) हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से भरा जायें।
3. अंग्रेजी में अपेक्षित सूचनायें भरते समय अपेक्षित है कि इस आवेदन पत्र के ब्लाक को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में भरें। हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सकते हैं।
4. आवेदक केवल अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करें जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
5. आवेदक को पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर यथा स्थान लगाना है तथा इस प्रकार हस्ताक्षर किये जाये कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पत्र एवं आधा भाग फोटोग्राफ पर आये। संयुक्त आवेदक (पति-पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में दोनों का संयुक्त फोटोग्राफ लगाया जाना अपेक्षित होगा।
6. एक ब्लाक (BLOCK) में एक ही वर्ण (अक्षर एवं अंक) लिखें।
7. नाम अथवा पता भरते समय दो शब्दों के बीच एक रिक्त स्थान / ब्लाक छोड़ा जाये।
8. आवेदन पत्र में बिन्दु-6 पर अंकित लिंग (SEX) कॉलम में पुरुष हेतु "M" एवं महिला हेतु "F" भरें।
9. सम्पत्ति श्रेणी के विषय में पंजीकरण पुस्तिका में दिये गये विवरण में से F-32, F-57, F-64 को भरना होगा। एक से अधिक सम्पत्ति श्रेणी में आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
10. आरक्षण की श्रेणी भरने के लिये पंजीकरण में उल्लिखित "आरक्षण" नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखें उद्धित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा।

आवेदन पत्र भरने के लिये कोड की सूची (आरक्षण कोड)

आरक्षण कोड	कोड संख्या
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जनजाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
अनारक्षित	04
हारिजेन्टल आरक्षण कोड	
मा० विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	F
सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों	G
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	B
वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	R
समाज के विकलांग व्यक्ति	D
वरिष्ठ नागरिक	O
हारिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा	

11. कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण का कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण-पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण होने की स्थिति में प्रमाण-पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन-पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।
12. बैंक ड्राफ्ट / पे-आर्डर को लेखा शीर्षक "उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद एस.एफ.एस., आवासीय योजना 2015 (UPAVPSFS HOUSING SCHEME-2015) जो मेरठ में देय होगा।
13. संलग्नकों के विवरण में कुल संलग्न किये गये अभिलेखों की संख्या व विवरण अंकित करना होगा। बैंक ड्राफ्ट का विस्तृत विवरण आवेदन पत्र के बिन्दु-13 में दिया जायेगा। अतः इस स्तम्भ में मात्र बैंक ड्राफ्ट (उपरोक्तानुसार) लिखा जा सकता है। किन्तु आरक्षण विषयक लाभ लेने हेतु लगाये गये संलग्नकों को सावधानीपूर्वक अंकित कर प्रार्थना-पत्र के साथ लगाना अनिवार्य होगा।
14. पात्रता ड्रा के बाद असफल होने पर धनराशि समय से परिषद द्वारा आवेदन पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर नोडल बैंक द्वारा सीधे आवेदनकर्ता को बैंक एकाउन्ट के माध्यम से रिफण्ड कर दी जायेगी। उक्त सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर अथवा त्रुटिपूर्ण सूचना उपलब्ध कराये जाने की दशा में रिफण्ड के भुगतान में विलम्ब हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद का कोई उत्तरदायित्व न होगा तथा इस हेतु विलम्ब के कारण परिषद की ओर से ब्याज आदि देय न होगा। अतः आवेदन पत्र में अपना बैंक एकाउन्ट नम्बर बैंक का नाम, शाखा एवं शहर व अन्य सूचनाओं का उल्लेख सही व त्रुटि रहित करें। उक्त प्रविष्टि को ध्यान पूर्वक भरें ताकि आपका रिफण्ड गलती के कारण किसी गलत खाते में न जाने पायें अतः आवेदक द्वारा अपने बैंक खाते का एक निरस्त चेक आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया जाना अत्यन्त सुविधाजनक रहेगा।
15. आवेदन-पत्र में केवल आवेदक द्वारा ही हस्ताक्षर किये जाये।
16. अपूर्ण आवेदन-पत्र/आवेदन पत्रों में कटिंग किये हुए आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। इस विषय में कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
17. परिषद से भविष्य में पत्र व्यवहार के समय चालान संख्या, शहर कोड, तथा चरण अवश्य अंकित करें।
18. आवेदन-पत्र जमा करते समय आवेदन-पत्र की छायाप्रति अपने पास सुरक्षित रखें ताकि भविष्य हेतु संदर्भ रहे।
19. आवेदन-पत्र के साथ पैन कार्ड एवं पहचान-पत्र (वोटर आई0डी0, डी0एल0, पासपोर्ट आदि) की फोटोप्रति संलग्न करना होगा।
20. तालिका में दर्शाये गये फ्लैट्स की संख्या घट बढ़ सकती है जिसके सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

मुख्य परिभाषाएँ

निम्नलिखित शब्द / शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये हैं, जहाँ-जहाँ वे प्रयुक्त किये गये हैं, उनके निम्नलिखित अर्थ होंगे :-

आवेदक का परिवार :-

इसमें स्वयं आवेदक, उसकी पत्नी / पति तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं।

आय :-

आय का तात्पर्य आवेदक के समस्त स्रोतों से होने वाली पंजीकरण से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय से है, इसमें आवेदक उनके पति / पत्नी तथा अवयस्क बच्चे की आय सम्मिलित होगी।

भूखण्ड/भवन :-

भवन या मकान शब्द में "फ्लैट" से है।

सम्पत्ति :-

सम्पत्ति का तात्पर्य भवन "फ्लैट अथवा भूखण्ड" से है।

विदेशी मुद्रा :-

विदेशी मुद्रा का तात्पर्य स्टर्लिंग पौंड, यूएस. डालर, जर्मन मार्क, जापानी येन, स्विस फ्रैंक और दीनार से है।

चरण (पंजीकरण का खुलाना) :-

इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन-पत्र आमंत्रित करने से है। चरण संख्या या कोड पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि सम्बन्धित है, इसलिये विभिन्न चरणों के लिये भिन्न होगी। इसी प्रकार पंजीकरण चरण-पत्र में इस विशेष पंजीकरण से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है।

पंजीकरण का दौरः :-

इसका तात्पर्य पंजीकरण की उस प्रक्रिया से है, जिसके अन्तर्गत एक विशेष अवधि में पंजीकरण किया जाता है।

सरकारी सेवाओं से तात्पर्य :-

उ0प्र0 राज्य की सेवा में तथा इनके अधीन गठित निगमों, उपक्रमों एवं निकायों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों एवं अधिकारियों से है।

विस्थापित व्यक्ति :-

विस्थापित व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी भूमि / भवन परिषद द्वारा अधिग्रहीत की गयी हो।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है :-

- (1) जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा गया हो या कम से कम 10 बैंतों की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो या जिसने वीरगति प्राप्त की हो।
- (2) जो पेशावर काण्ड में रहे हों या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हों या भूतपूर्व इण्डिया इण्डिपेन्डेन्स लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों।

सुरक्षा सैनिक से तात्पर्य :-

सेवारत / सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति :-

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ी जाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है। अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य उ0प्र0 (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण अधिनियम-1994) अधिनियम संख्या-4 सन् 1974 की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट है। इस अधिनियम की अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को इस सुविधा का लाभ अनुमत्य नहीं होगा।

नेत्रहीन तथा विकलांग व्यक्ति का तात्पर्य :-

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नेत्रहीन / विकलांग व्यक्ति से है।

परिषद कर्मचारी का तात्पर्य :-

परिषद नियमित अधीष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी से है। जिनकी न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा पूर्ण हो।

परिषद का तात्पर्य:-

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है।

विकास प्राधिकरण/जल संरक्षण/नगर महापालिका त स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य :-

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधीष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों।

भागीरथी एन्डलेव
जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या -11, मेरठ में
समाजवादी आवास योजना

के अन्तर्भूत बैंकों की शास्त्राओं के नाम व पते
**जहाँ पर पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त करने एवं पंजीकरण आवेदन-पत्र
तथा पंजीकरण घनराशि जमा करने की सुविधा उपलब्ध है।**

क्रमांक	पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त करने का स्थान	दूरभाष नं।
1.	पंजाब नेशनल बैंक, सेक्टर-2, शास्त्री नगर, मेरठ (नोडल शाखा)	0121-2770489, 2769705
उपरोक्त के अतिरिक्त पंजीकरण पुस्तिका प्रचार अनुभाग, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महत्मा गांधी मार्ग, लखनऊ से भी प्राप्त की जा सकती है।		

महत्वपूर्ण नोट :-

- पंजीकरण हेतु उपरोक्त स्थानों से अधिकारिक रूप से पुस्तिका क्रय कर सकते हैं।
- स्व वित्त पोषित योजना 2016 के पंजीकरण का कार्य एवं पंजीकरण आवेदन-पत्र समस्त संलग्नकों सहित जमा करने आदि से सम्बन्धित कार्य केवल उपरोक्त लिखित बैंक से किया जायेगा।
- (अ) डाक द्वारा पंजीकरण मांगने हेतु पंजीकरण पुस्तिका मूल्य 300.00 (286.00+14.00 वैट) तथा डाक व्यय ₹0.50/- प्रेषित कर पंजीकरण पुस्तिका उल्लिखित बैंक से प्राप्त की जा सकती है।
(ब) डाक मे होने वाले विलम्ब के लिए बैंक / परिषद उत्तरदायी नहीं होंगे।
- बैंक ड्राफ्ट / पे आर्डर “उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद पंजीकरण 2016” के नाम से मेरठ पर देय होगा।

जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11, मेरठ

में प्रस्तावित “भागीरथी एन्कलेव” में विभिन्न प्रकार के फ्लैट्स के आन-लाइन रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

उक्त योजना की सम्पत्तियों (फ्लैट्स) के आन-लाइन पंजीकरण (Online Registration) द्वारा आवेदन करने के क्रम में निम्नलिखित दो चरणों (Two Step) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा :-

प्रथम चरण (Step-1)

आन-लाइन पंजीकरण (Online Registration) एवं पंजीकरण धनराशि का भुगतान (Payment of Registration Amount)

- ऑन लाइन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक द्वारा सर्वप्रथम परिषद वेबसाइट www.upavp.com पर जाकर मुख्य पृष्ठ (Homepage) के लिंक Online Registration for flat पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात खुलने वाले वेब-पेज के लिंक के लिए “भागीरथी” पर क्लिक करना होगा।
- आवेदक द्वारा संबंधित योजना / फ्लैट्स की समस्त जानकारियाँ भली-भांति पढ़ कर “Apply Online” लिंक पर क्लिक किया जायेगा।
- तपतपश्चात उपलब्ध होने वाले वेबपेज पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन के संबंध में मुख्य जानकारी (Basic Information) यथा-नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर, ई-मेल, इच्छित फ्लैट्स आदि विवरण ऑन लाइन फीड किये जायेगे।
- उक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने के पश्चात आवेदक द्वारा “Submit” बटन पर क्लिक किया जायेगा।
- ‘Submit’ करने के उपरान्त आवेदक द्वारा “Confirm” करने की दशा में उसे अपने ऑन-लाइन पंजीकरण से संबंधित विवरण, यूजर आईडी / पासवर्ड के साथ-साथ पंजीकरण धनराशि के भुगतान के दिशा-निर्देश सहित प्राप्त होंगे।
- उक्त वेब पेज पर लिंक “Print” पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा प्रथम चरण (Step-1) की ई-रसीद (e-Receipt) के प्रिन्ट आउट भविष्य के संदर्भ हेतु अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।
- आवेदक द्वारा उक्त प्रिन्ट-आउट में अंकित दिशा-निर्देश का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के 24 घंटे (अथवा अगले कार्य दिवस) उपरान्त निम्नलिखित विवरणानुसार पंजीकरण धनराशि एवं आवेदन शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

- ✓ Visit Website www.upavp.com & click on link "Online Registration of Flats"
- ✓ Click on link "Registration Fee payment" of concerning scheme's webpage.
- ✓ Select payment of category as "Registration" and provide Registration ID, then click on "Submit" button.
- ✓ Provide the required necessary details & click "Submit".
- ✓ After clicking on 'Confirm' button 'State bank MOPS' will be available.
- ✓ Application can close anyone option for making payment.

- उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि/आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त बैंक द्वारा परिषद खाते में धनराशि अंतरित होने की दशा में, आवेदक को Journal No./State bank Collect Reference No./Transaction No. प्रदान किया जायेगा।
(नोट :- डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक "UPAVP SFS HOUSING SCHEME-2015" के पश्च में जोकि लखनऊ शहर में देय होना चाहिये) MOPS-Multi Option Payment System

द्वितीय चरण (Step-2)

अंतिम रूप से ऑन लाइन फार्म जमा करना (Finally Online Form submission)

- आवेदक द्वारा प्रथम चरणानुसार (Step-1) पंजीकरण धनराशि आवेदन शुल्क जमा करने के 24 घंटे पंजीकरण धनराशि परिषद खाते में अंतरित होने के उपरान्त पुनः परिषद वेबसाइट www.upavp.com के लिंक "Online Registration for flats" पर जाकर संबंधित योजना के वेबपेज पर उपलब्ध लिंक "Submit Application Details" पर क्लिक किया जायेगा।
- Login Panel के अंतर्गत आवेदक को अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड एवं Journal No./Reference No./Transaction ID भरकर अपना ऑन लाइन फार्म खोला जायेगा।
- आवेदक द्वारा अपने ऑन-लाइन आवेदन फार्म में अपना Scanned कलर फोटोग्राफ एवं हस्ताखर अपलोड करते हुए अन्य आवश्यक सूचनायें दर्ज की जायेगी।
- तत्पश्चात आवेदक द्वारा अपना ऑन-लाइन पंजीकरण फार्म Recheck करते हुए "Submit" करना होगा।
- ऑन-लाइन रजिस्ट्रेशन फार्म Finally Sumit कर अपने आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट दो प्रतियों में प्राप्त किया जायेगा।
- तत्पश्चात रजिस्ट्रेशन फार्म की प्रिन्टेड की एक प्रति आवेदक द्वारा समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतियों (फोटो आईडी, प्रमाण, जाति प्रमाण-पत्र आदि) सहित निम्नांकित पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किये जायेंगे :-

“सम्पत्ति प्रबन्धक”
 सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय,
 उठोप्रो आवास एवं विकास परिषद,
 ऑफिस काम्पलैक्स, शास्त्री नगर,
 मेरठ (उठोप्रो - 250004)

कठिनाई की स्थिति में सम्पर्क करें :-


श्री विश्वास रिंग अधिकारी अधिकारी निर्माण खण्ड-6, मेरठ मो. स० 8795810028	श्री राजीव कुमार गुप्ता निर्माण खण्ड-8, मेरठ मो. स० 8795810062	श्री प्रमोद कुमार निर्माण खण्ड-5, मेरठ मो. स० 8795810040	श्री आर. एस. रिंग द्वितीय कृत्ति, मेरठ मो. स० 8795810057
श्री केशव राम मो. स० 8795810052 सम्पत्ति प्रबन्धक, मेरठ। दूरभाष : 0121-2762011	सुंयक्त आवास आयुक्त, मेरठ जौन, मेरठ दूरभाष : 0121-2760415	आर.पी.भाटकर जै० ए० ओ० दूरभाष : 94117417255	

મારીરથી

એચ્વલેવ

જાગૃતિ વિહાર (વિસ્તાર) યોજના સંખ્યા -11, મેરઠ





F 32

F 57

F 64

જાગૃતિ વિહાર (વિસ્તાર) યોજના સંખ્યા 11



मूल्य ₹ 300.00 (286.00+14.00 वैट)



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
U.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD

104, महात्मा गांधी नगर, लखनऊ-226001

Website : <http://www.upavp.com>. E-mail: upavp@sancharnet.in